संख्या- 29/1821/बयालिस-2016-09(निर्माण)/2014

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 20 सितम्बर, 2016**

विषय :- सैफई जनपद इटावा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी0- 552/नि0सैफई क्रिकेट स्टे0पत्रा0/2016-17, दिनांक : 27 अगस्त, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय सैफई जनपद इटावा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- 936/बयालिस-2016-09(निर्माण)/2014, दिनांक 25 मई, 2016 द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 34656.96 लाख के सापेक्ष रू0 16373.01 लाख अवमुक्त करने के उपरान्त वित्तीय वर्ष- 2016-17 में अनुपूरक मांग के माध्यम से बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 12002.90 लाख (रू0 एक अरब बीस करोड दो लाख नब्बे हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है :-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 12002.90 लाख (रू0 एक अरब बीस करोड दो लाख नब्बे हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृत धनराशि परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

(2)- परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

(3)- कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था की होगी।

(4)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(5)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन न हो अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(6)- प्रायोजनान्तर्गत समय-समय पर कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए गुणवत्ता युक्त कार्य पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7)- उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- 59/1868/बयालिस-2015-09(निर्माण)/2014, दिनांक 13 अगस्त, 2015 एवं शासनादेश संख्या- 936/बयालिस-2016-09(निर्माण)/2014, दिनांक 25 मई, 2016 में उल्लिखित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2016-17 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक- '' 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-91-सैफई स्पोर्टस कालेज, इटावा में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य '' के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रतिनिहित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

डा0 अनिता भटनागर जैन
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 29/1821(1)/बयालिस-2016-तद्दिनांक :-</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-</u>

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, इटावा।
(5)- प्रबन्ध निदेशक, राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ।
(6)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, कानपुर/क्रीड़ाधिकारी, सैफई (इटावा)।
(7)- प्रधानाचार्य, सैफई स्पोर्टस कालेज, सैफई।
(8)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(9)- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग- 5
(10)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।